न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 256 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/272)
पंजीयन दिनांक– 10.08.2021
निर्णय दिनांक– 18.10.2021

1. श्री भंवरलाल पिता भैरू मीणा, निवासी डाबर की चौकी, पुठोली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री नन्दराम पिता प्रभुलाल मीणा, निवासी डाबर की चौकी, पुठोली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री भागचंद पिता प्रभुलाल मीणा, निवासी डाबर की चौकी, पुठोली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री दौला पिता रामा मीणा, निवासी डाबर की चौकी, पुठोली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्री नानू पिता रामा मीणा, निवासी डाबर की चौकी, पुठोली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्री शंकर पिता रामा मीणा, निवासी डाबर की चौकी, पुठोली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
7. श्री रतन पिता सोहन मीणा, निवासी डाबर की चौकी, पुठोली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
8. श्री काना पिता सोहन मीणा, निवासी डाबर की चौकी, पुठोली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
9. श्री भगवानलाल पिता रूपा मीणा, निवासी डाबर की चौकी, पुठोली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
10. श्री अर्जुन पिता मनोहर मीणा, निवासी डाबर की चौकी, पुठोली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
11. श्री मदन पिता लालु मीणा, निवासी डाबर की चौकी, पुठोली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

12. श्री सुरजमल पिता चतुर्भुज मीणा, निवासी डाबर की चौकी, पुठोली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
13. श्रीमती पवन कंवर पत्नि स्वं समुन्द्रसिंह राजपुत, निवासी पुठोली जरिये पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर देवीलाल पिता देवा भोई, निवासी भोई खेडा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़।
3. नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़।
4. नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ जरिये आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री बंशीलाल गर्ग – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3
4. श्री प्रमोद दाणी – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश
क्रमांक/राजस्व/12–3(1)2020/1211 दिनांक 28.07.2021

निर्णय

दिनांक 18.10.2021

अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/12–3(1)2020/1211 दिनांक 28.07.2021 के विरूद्ध दिनांक 10.08.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी, प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 जाप्ता दीवानी व 212 रा. टी. एक्ट के साथ दिनांक 16.04.2021 को इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/12–3 (1) 2020/1211 दिनांक 28.07.2021 से रेस्पोडेंट संख्या 4 के पक्ष में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 92 के अंतर्गत ग्राम चंदेरिया, ग्राम पुठोली की कुछ आराजीयात आवंटन कर आरक्षित करने के आदेश की कलम संख्या 1 में वर्णित ग्राम चंदेरिया की चारागाह आराजी नम्बर 2272 रकबा 0.52 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2272 रकबा 0.65 हैक्टेयर में से 0.24 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2285 रकबा 0.24 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2286 रकबा 0.23 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2310 रकबा 0.20 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2311 रकबा 0.08 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2312 रकबा 0.23 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2313 रकबा 0.14 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2322 रकबा 0.31 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2323 रकबा 0.15 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2324 मी रकबा 0.99 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2333 रकबा 0.55 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2334 रकबा 0.26 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2335 रकबा 0.24 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2336 रकबा 0.27 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2337 रकबा 0.34 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2338/2496 रकबा 0.78 हैक्टेयर कुल किता 17 रकबा 5.77 हैक्टेयर भूमि गौशाला प्रयोजनाथ नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को हस्तांतरित की है, जबकि उपरोक्त आराजीयात

अपीलांट्स के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जिस पर अपीलांट करीब 70–75 वर्षो से काबिज व काश्त करते चले आ रह है। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बंशीलाल गर्ग उपस्थित व रेस्पोडेंट्स 1 व 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद दाणी उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ता की बहस दिनांक 06.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपील में वर्णित आराजीयात पर अपीलांट्स के कब्जे काश्त में होकर करीब 70–75 वर्षो से काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। अपीलांट्स भूमिहीन काश्तकार होकर इस कृषि भूमि के अलावा ओर कोई कृषि भूमि इनके पास नही है पूर्व में उक्त आराजीयात बिलानाम सरकार थी। भू–प्रबंध कार्य के वक्त भू–प्रबंध कर्मचारियों ने बिना किसी विधिक कार्यवाही व बिना किसी न्यायालय आदेश के बिलानाम से चारागाह में परिवर्तन कर दिया जो कि जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था अपीलांट का कब्जा उक्त आराजीयात बिलानाम थी तब से चला आ रहा है। पूर्व में तहसीलदार, गंगरार द्वारा धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए मिसल नम्बर 672/90 पर्चा मौका दिनांक 09.11.1990 को बनाया जिसमें 23–24 वर्ष पुराना कब्जा बताया एवं अपीलांट् को भूमिहीन होना बताया निर्णय दिनांक 05.12.1990 को लिखया जाकर नियमन की सिफारिश कर मूल पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को भिजवाई गई थी। इसी प्रकार अपील में वर्णित आराजीयात में से भिन्न–भिन्न आराजीयात पर अपीलांट्स का कब्जा होकर धारा 91 के

तहत कार्यवाहियां होती रही तथा नियमन हेतु भू–आवंटन सलाहकार समिति को पत्रावलियां प्रेषित की गई थी। इस प्रकार अपीलांट्स का कब्जा निर्बाध रूप से निरंतर कब्जेकाश्त में चला आ रहा है, इस संबंध में तहसीलदार, गंगरार से सन् 2005 में सम्मन प्राप्त हुए है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट प्रश्नगत आराजी के वैधानिक स्वामी होकर काश्तकार है। ग्राम पंचायत पुठोली द्वारा उपरोक्त चारागाह आराजीयात को ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया कि इन लोगो का नाजायज कब्जा होने से चारागाह से खारिज कर बिलानाम कर दी जावे तो ग्राम पंचायत कोई आपत्ति नहीं है। अतः उक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 28.07.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में बताया कि उक्त भूमि न्यास के परिधि नियंत्रण पट्टी में होकर गौशाला हेतु अनुज्ञेय थी। उक्त भूमि वक्त आदेश न्यास की किसी योजना में नही थी। वक्त आवंटन नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को उक्त भूमि गौशाला हेतु आवंटन की जाने में नगर विकास न्यास को कोई आपत्ति नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 28.07.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 4 ने अपनी बहस में बताया कि आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के द्वारा ग्राम पैराफेरी क्षेत्र में स्थित ग्राम चंदेरिया की स्थित चारागाह भूमियों को गौशाला प्रयोजनार्थ नगर परिषद को दी जाने तथा उक्त चारागाह की क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम चंदेरिया की बिलानाम भूमियों को चारागाह आरक्षित की जाने

का निवेदन किया जाने पर उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट अनुसार एंव राज्य सरकार के आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में वर्णित आराजीयात नगर परिषद को हस्तांतरित की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 28.07.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 24.08. 2021 को आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के तहत निम्न दस्तावेजात क्रम संख्या 1 से 14 तक प्रस्तुत किये हैं। सभी दस्तावेज राजकीय रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि होने व प्रकरण से सुसंगत होने के कारण रेकर्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है व तद्नुसार आदेश 41 नियम 27 जा. दीवानी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

1. न्यायालय तहसीलदार साहब गंगरार द्वारा आराजी नं0 2333 व आराजी नं0 2285 मोजा पुठोली तहसील गंगरार की मिसल नम्बर 672/90 में दिनांक 09.11.1990 को बनवाये गये मौका पर्चा की प्रमाणित प्रति, सरकार बनाम भंवरलाल मीणा।
2. न्यायालय तहसीलदार साहब गंगरार की मिसल संख्या 672/90 सरकार बनाम भंवरलाल मीणा में सुनाये गये निर्णय दिनांक 05. 12.2019 की प्रमाणित प्रति।
3. न्यायालय तहसीलदार साहब गंगरार के नाजायज कब्जा की मिसल संख्या 668/90 का पर्चा मौका दिनांक 05.12.1990 सरकार बनाम भगवाना पिता रूपा मीणा पर्चा मौका की प्रमाणित प्रति।
4. न्यायालय तहसीलदार साहब गंगरार द्वारा नाजायज कब्जा मिसल संख्या 668/90 सरकार बनाम भगवाना मीणा आराजी नं0 2311, 2312, 2313 ग्राम डाबर की चौकी, पुठोली को सुनाये गये निर्णय की प्रमाणित प्रति दिनांक 05.12.1990।

5. न्यायालय तहसीलदार साहब गंगरार द्वारा किये गये नाजायज कब्जे की कार्यवाही मिसल संख्या 671/90 सरकार बनाम चतरू मीणा में दिनांक 09.11.1990 को आराजी नं0 2337 को मौका पर्चा बनाया जिसकी प्रमाणित प्रति।
6. न्यायालय तहसीलदार साहब गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा नाजायज कब्जे की कार्यवाही सरकार बनाम चतरू मीणा में मिसल संख्या 671/90 सुनाये गये निर्णय दिनांक 05.12.1990 की प्रमाणित प्रति।
7. न्यायालय तहसीलदार साहब गंगरार द्वारा नाजायज कब्जे की कार्यवाही सरकार बनाम प्रभु मीणा मिसल संख्या 667/90 आराजी नम्बर 2286, 2335 मौजा पुठोली का दिनांक 09.11.1990 को बनाये गये मौका पर्चा की प्रमाणित प्रति।
8. न्यायालय तहसीलदार साहब गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा नाजायज कब्जे की कार्यवाही सरकार बनाम प्रभु मीणा में मिसल संख्या 667/90 सुनाये गये निर्णय दिनांक 05.12.1990 की प्रमाणित प्रति ।
9. न्यायालय तहसीलदार साहब गंगरार द्वारा मिसल संख्या 664/90 सरकार बनाम शंकर पिता रामा मीणा को दिये गये नोटिस दिनांक 15.09.1990 का मूल नोटिस की प्रति।
10. ग्राम पंचायत पुठोली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा उपरोक्त आराजीयात को चरनोट से खारिज कराने हेतु लिये गये प्रस्ताव दिनांक 09.01.1989 की प्रमाणित प्रति।
11. ग्राम पंचायत पुठोली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ की उपरोक्त आराजीयात की जमाबंदी सम्वत् 2029 से 2032 तक की प्रमाणित प्रति।
12. उपरोक्त आराजीयात का मिलान क्षेत्रफल।
13. अपीलाण्ट के कब्जेशुदा आराजीयात का मिलान खसरा।

14. अपीलाण्ट के खिलाफ तहसीलदार साहब चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलाण्ट के खिलाफ नाजायज कब्जे की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91(3) व धारा 91 (6) के अधीन दिये गये सूचना–पत्र की प्रतियां।

अब हम प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ पेश किये गये दफा 96 जा.दी. के आवेदन पर विवेचन करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. के आवेदन में वर्णित किया है कि विवादित भूमियां जिला कलक्टर द्वारा अपीलाधीन आदेश से रेस्पोंडेण्ट संख्या 4 यानि नगर परिषद चित्तौड़गढ़ को आवंटित कर दी है। उक्त भूमियां पूर्व में बिलानाम थी। भू–प्रबन्ध के कर्मचारियों ने बिना किसी वैधानिक आधार के चारागाह अंकित कर दी जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अपीलाण्ट का 70–75 वर्ष पुराना कब्जा है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोंडेण्ट संख्या 4 को आवंटन के अनुसार अपीलाण्ट को नुकसान हुआ है व अपीलाण्ट के हित प्रभावित होते हैं इसलिए अपीलाण्ट को यह अपील प्रस्तुत करनी आवश्यक हो गया है। हम यह पाते हैं कि जो अपीलाधीन आदेश हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, उसमें जिला कलक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.07.2021 क्रमांक 1211 से विवादित आराजीयात जिनकी किस्म चारागाह है, उन भूमियों को सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर विवादित चारागाह भूमियों को क्षतिपूर्ति करते हुए संबंधित चारागाह भूमि को नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को गौशाला प्रयोजनार्थ आरक्षित की है। अपीलाण्ट विवादित भूमियों का स्वयं का कब्जा बताता है। 70–75 वर्ष का कब्जा तो साबित नहीं है परन्तु अधिकतम 1990 के आस–पास से उनका कब्जा होने की साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी है। विवादित भूमियां बवक्त गौशाला प्रयोजनार्थ आवंटन, चारागाह थी एवं चारागाह भूमियों में किसी भी प्रकार का निजी प्रयोजनार्थ आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जगतपाल के प्रकरण से निर्णित तथ्य है एवं

तद्नुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2021 के समय विवादित भूमियां चारागाह होने से उक्त भूमियों की अपीलाण्ट की कोई हितबद्धता नहीं हो सकती तथा भूमियों के चारागाह होने पर सक्षम स्वीकृति के बाद जिला कलक्टर द्वारा विवादित भूमियों को गौशाला प्रयोजनार्थ आरक्षित की है। अपीलाण्ट का वाद हेतुक या अपील हेतुक प्रथमतया यह है कि विवादित भूमियां पूर्व में बिलानाम थी जिन्हें भू–प्रबंध विभाग द्वारा चारागाह बना दिया गया जिसके लिए भू–प्रबंध विभाग अधिकृत नहीं था। उक्त तथ्यों के संदर्भ में अपीलाण्ट द्वारा जो मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2033 भी प्रस्तुत किया है अर्थात् अपीलाण्ट का अपील हेतुक प्रथमतया भू–प्रबंध विभाग द्वारा भूमियों को सम्वत् 2033 से बिलानाम भूमि से चारागाह परिवर्तित करने से संबंधित है। सम्वत् 2033 में बिलानाम भूमियों को चारागाह करने के बाद सम्वत् 2033 से 2078 अर्थात् विवादित भूमियां गत 45 वर्षों से चारागाह है। भू–प्रबंध विभाग को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 116 के तहत भूमियों को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने का अधिकार है अर्थात् अपीलाण्ट का जो अपील हेतुक है वह 45 वर्ष पुरानी बिलानाम भूमियों को चारागाह भू–प्रबंध विभाग द्वारा अंकित कर देने से हैं। 45 वर्ष तक जो भूमियां चारागाह रही है, उसमें 70–75 वर्ष पुराने अपीलाण्ट का अतिक्रमण होना प्रमाणित नहीं है, साथ ही चारागाह भूमियों में जो 45 वर्षों से चारागाह है, उसमें आवंटन या नियमन हेतु भी अपीलाण्ट प्रचलित विधि के अनुसार अधिकृत नहीं है एवं जिला कलक्टर गत 45 वर्षों से चली आ रही चारागाह भूमियों को गौशाला प्रयोजनार्थ विधिक रूप से आरक्षित करते हैं तो इस आदेश से अपीलाण्ट का व्यथित होना कदापि नहीं माना जा सकता क्योंकि विवादित भूमियां गत 45 वर्षों से चारागाह है एवं चारागाह पर अतिक्रमी का कोई Locus standi नहीं होता एवं चारागाह भूमि को गौशाला प्रयोजनार्थ आवंटन /आरक्षित कर देने से उन्हें व्यथित नहीं माना जा सकता क्योंकि उनका प्रमुख अपील हेतुक

विवादित भूमियों का बिलानाम से चारागाह बनाना है, जो एक पृथक अपील हेतुक है। चारागाह भूमियों को गौशाला प्रयोजनार्थ आवंटन/आरक्षित किये जाने से अपीलाण्ट को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता अर्थात् अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से असंपृक्त (Non-related), असंबंद्ध पक्षकार है एवं उन्हें अपीलाधीन आदेश से आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता, अतएवं अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती तद्नुसार अपीलाण्ट का दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकृत नहीं होने के कारण अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर